न्यायालयः-अमनदीपसिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 75 / 10संस्थित दिनांक 11.02.2010फा.नंबर—23450300552010

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर जिला बालाघाट म0प्र0 🔊

.....अभियोजन

अंतुसिंह पिता रामसिंह, उम्र–20 साल, जाति गोण्ड, निवासी ग्राम करेली थाना बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)

....आरोपी

ः<u>निर्णयःः</u> { दिनांक **28 / 08 / 2017** को घोषित}

- 01. आरोपी के विरूद्ध धारा—279, 337 एवं 304ए भा.द.वि. एवं मो०व्ही० एक्ट की धारा—134/187, 3/181, 39/192, 66/192 तथा 146/196 के तहत् दण्डनीय अपराध का आरोप है, कि उसने दिनांक 11.01.2010 को समय 08:30 बजे ग्राम गोमजीटोला(करेली) अंतर्गत थाना बैहर में वाहन ट्रेक्टर को लोकमार्ग पर लापरवाहीपूर्वक व तेज गित से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत सुरेश एवं रामकलीबाई को ट्रेक्टर से गिराकर साधारण उपहित कारित किया, आहत सुनील को ट्रेक्टर से गिराकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, दुर्घटना में क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया तथा दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को नहीं दिया तथा उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति, परिमट, रिजस्ट्रेशन और बीमा के चलाया।
- 02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.01.2010 को न्यू हालेण्ड प्लस द्रेक्टर इंजन नंबर एल—3—24—सी—28174 मय द्राली के चालक अन्तुसिंह कुसरे ने उक्त द्रेक्टर में बुधियाबाई, भागरतीबाई, शांतिबाई, रामकलीबाई, सुरेश कुसरे एवं सुनील कुसरे को बैठाकर मजदूरी करने तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए ले जा रहा था, जिसमें बैठा सुनील कुसरे द्रेक्टर के चके के नीचे दब गया और खत्म हो गया था एवं अन्य मजदूर घायल हो गये। चालक द्वारा मृतक सुनील एवं घायलों को अस्पताल नहीं पहुँचाया गया। आहत सुनील मृत अवस्था में घटनास्थल पर पड़ा था एवं अन्य घायलों को अन्य साधनों से अस्पताल ले गये थे। उक्त घटना में रामकलीबाई एवं शिवलाल को चोटें आई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अंतुसिंह के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना

दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा, साक्षियों के कथन, जप्ती पत्रक तैयार किया गया। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति, परिमट, रिजस्ट्रेशन और बीमा के चलाने से मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—134/187, 3/181, 39/192, 66/192 तथा 146/196 का ईजाफा किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वह निर्दोष हैं तथा उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 04. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - (1) क्या आरोपी ने दिनांक 11.01.2010 को समय 08:30 बजे ग्राम गोमजीटोला(करेली) अंतर्गत थाना बैहर में वाहन द्रेक्टर को लोकमार्ग पर लापरवाहीपूर्वक व तेज गति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
 - (2) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत सुरेश एवं रामकलीबाई को द्रेक्टर से गिराकर साधारण उपहति कारित किया ?
 - (3) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत सुनील को द्वेक्टर से गिराकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?
 - (4) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर दुर्घटना में क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया और दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को नहीं दिया ?
 - (5) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति, परिमट, रिजस्ट्रेशन और बीमा के चलाया ?

<u>ःसकारण निष्कर्षःः</u>

विचारणीय प्रश्न कमांक 01, 02, 03

साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- 05— साक्षी बुधियाबाई अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपी अन्तुसिंह को जानती है तथा वह आहतगण सुरेष व रामकलीबाई को नहीं जानती है। वह मृतक सुनील को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो वर्ष पूर्व ग्राम करेली में सुबह के समय की है। घटना दिनांक को उन लोग दिनेष पटले के ट्रेक्टर में बैठकर काम करने जा रहे थे। उन लोग दाली में बैठे थे। मृतक सुनील दिनेश के साथ ट्रेक्टर के इंजन के पास बैठा था, वह कैसे गिरा उसे जानकारी नहीं है। ट्रेक्टर को दिनेश पटले चला रहा था। उसकी गलती से ही सुनील की मृत्यु हो गई थी। उसके सामने पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा बनाई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि अन्तुसिंह भी उनके साथ दाली में बैठा था, मृतक सुनील को चालक दिनेश ने अपने पास बैठाया था, ट्रेक्टर को दिनेश पटेल चला रहा था, पुलिस ने कोई मौका नक्शा नहीं बनाया था तथा उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था।
- साक्षी भागरतीबाई अ.सा.02 का कथन है कि वह आरोपी अन्तुसिंह को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो–तीन वर्ष पूर्व ग्राम करेली के आगे गोमजीटोला में सुबह के समय की है। घटना दिनांक को उन लोग ट्रेक्टर में बैठकर पैरा के लिये जा रहे थे। द्रेक्टर को दिनेश चला रहा था। उपस्थित आरोपी द्वेक्टर में लेबरगिरी करता था, उस समय द्वेक्टर को दिनेश चला रहा था। रामकलीबाई, सुरेश द्वाली में बैठे थे और सुनील देक्टर के मुण्डे में बैठा था। उसे जानकारी नहीं है कि घटना कैसे कारित हुई, किन्तू दिनेश की गलती से दुर्घटना कारित हुई थी। द्वेक्टर से गिरने के कारण सुनील की मृत्यु हो गई थी। घटनास्थल पर ही सुनील की मृत्यु हो गई थी। उसके पति का नाम अंतु है और न्यायालय में उपस्थित आरोपी का नाम भी अंतु है, किन्तु वह उसका पति नहीं है। घटना के समय उसका पति द्रेक्टर में नहीं था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि सुनील को दिनेश पटेल ने अपने पास बुलाकर बैठाया था, उसने सुनील को गिरते देखा था और दिनेश को गाडी रोकने बोले तो उसने गाडी नहीं रोंका, ट्रेक्टर को दिनेश पटेल ने ही किराये से लाया था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को भी स्वीकार किया कि उसने अपने जो मुख्यपरीक्षण में बताई है वैसा ही पुलिस कथन में बताई थी तथा पुलिस ने उसका बयान उसे पढकर नहीं बताई थी।
- 07— साक्षी काशीराम 30सा0—03 का कथन है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना 11 जनवरी के लगभग तीन साल पुरानी है। द्रैक्कर से करेली से बम्हनी के बीच आरोपी चलाते हुए जारहा था, उसके साथ मृतक सुनील व अन्य लोग बुनेश, बुधियाबाई, एक और लड़की भी थी, जो आरोपी के साथ द्रेक्टर में बैठकर जा रहे थे। आरोपी ने रोड के किनारे ट्रेक्टर को पलटा दिया था, जिससे मृतक सुनील मौके पर

ही खत्म हो गया था, बाकि लोगों को हल्की चोटें आई थी। आरोपी घटना के समय द्रेक्टर को तेज गति से चला रहा था। आरोपी की गलती से दुर्घटना हुई थी। वह घटना के समय कुछ दूरी पर ही था और अपने खेत से आ रहा था। उसने थाने में जाकर रिपोर्ट किया था। पुलिस ने जांच कर मर्ग की कार्यवाही की थी। मर्ग सूचना प्र.पी.01 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि मृतक उसका गांव रिश्ते से भतीजा है। वह दिनेश पटेल को जानता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि दिनेश वाहन चालक का कार्य करते हुए द्रेक्टर चलाता है। दुर्घटना कारित ट्रेक्टर नितेश बघेल का था। उसका पुलिस ने बयान लिया था। यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस को बताया था कि घटना के समय आरोपी अन्तु के साथ सुनील, सुरेश, बुधिया और एक लड़की जा रही थी, यह बात पुलिस कथन प्र.डी.01 में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। यदि पुलिस कथन प्र. डी.01 में आरोपी के द्वारा ट्रेक्टर पलटने के कारण मृतक खत्म हो गया था, न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया कि उक्त द्वेक्टर में बहुत से लोग बैठे थे। यह अस्वीकार किया कि आरोपी अन्तुसिंह द्रेक्टर द्राली में बैठा था। साक्षी के अनुसार आरोपी द्रेक्टर चला रहा था। यह स्वीकार किया कि उक्त द्रेक्टर को दिनेश पटेल ने किराये से लाया था। वह धटनास्थल से 200 मीटर की दूरी पर था। यह अस्वीकार किया कि बहुत दूरी से यदि रफ़्तार से वाहन जा रहा हो तो चालक दिखाई नहीं देता तथा घटना के समय दिनेश ट्रेक्टर चला रहा था और बाजू में मृतक बैठा हुआ था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना के समय आरोपी व दिनेश ट्रेक्टर को चलाते थे। साक्षी के अनुसार घटना के समय आरोपी ही द्वेक्टर चला रहा था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि वह दिनेश के घर पर मजदूरी करता है और वह काफी दूरी पर होने के कारण दुर्घटना के समय चालक को नहीं देख पाया था, द्रेक्टर सामान्य गति से चल रहा था। साक्षी के अनुसार स्पीड से चला रहा था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि मृतक रिष्तेदार होने के कारण वह झूठे कथन कर रहा है तथा द्रेक्टर पलटा नहीं था और सुनील स्वयं गिरने से चके के नीचे आ गया था, किन्तु यह रवीकार किया कि सुनील की चके के नीचे दबने से मृत्यु हुई है, जो कि द्रेक्टर के बीच वाले चके के नीचे दब गया था।

08— डॉ० एन.एस. कुमरे अ०सा०—04 का कथन है कि वह दिनांक 11.01.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक झामसिंह कमांक 80 द्वारा आहत सुरेश को लाने पर उसके द्वारा परीक्षण किया गया था, जिसमें उसने आहत को एक कंट्यूजन दाहिने चेस्ट पर तथा एक एब्रेजन दाहिने पैर पर होना पाया था। उसके मतानुसार आहत सुरेश को आई चोट साधारण प्रकृति की थी जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी तथा चोट कमांक 02 खुरदुरे सतह से आ सकती थी एवं उसके जांच के 06 घंटे के भीतर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है

तथा उक्त दिनांक को उसके द्वारा आहत रामकलीबाई का भी परीक्षण किया था, जिसमें कंट्यूजन विथ एब्रेजन तिरछापन लिये अनियमित किनारे लिये, जिसके मध्य भाग पर खरोंच थी, जिसकी चमड़ी निकल गई थी तथा सूखा हुआ रक्त पाया था। उसने उक्त चोट दाहिने जांघ की तरफ होना पाया था। उसके मतानुसार उसने आहत रामकलीबाई को एक्स—रे की सलाह दी थी। उक्त चोट कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी एवं उसके जांच के 06 घंटे के भीतर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आहत रामकलीबाई का एक्स—रे कराया गया था। एक्स—रे प्लेट क्रमांक 13 है, जिसमें उसने किसी प्रकार का अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उक्त एक्स—रे रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

डॉ0 एन.एस. कुमरे अ0सा0–04 के अनुसार उक्त दिनांक को सैनिक महिपाल थाना बैहर द्वारा समय 2:30 बजे मृतक सुनील का शव पोस्टमार्टम हेतू लाया गया था। उक्त शव की पहचान भूनेश और काशीराम निवासी करेली ने की थी। उसके द्वारा शव का बाह्य परीक्षण 3:30 बजे प्रारंभ किया गया था। उक्त शव चित्त अवस्था में था। नाक से खून निकल रहा था। मुँह और आंखे बंद थी। कपड़े लाल रंग के पहने हुआ था। मृतक के अंगुलियाँ बंद थी और पीली पड गई थी। मृतक के शरीर में एक कंट्यूजन, जिसमें विकृति आ गई थी और चीरा लगाने पर अस्थिभंग होना पाया था एवं चोट के नीचे अत्यधिक मात्रा में रक्तस्त्राव एवं थक्का हुआ खुन पाया था। उक्त चोट सिर के दाहिने ओर फ्रंटोवाईटल बोन पर पाया था। एक कंट्यूजन, जिसके मध्य भाग पर छोटा सा एब्रेजन पाया था, जिसमें सूखा हुआ रक्त था। उक्त चोट दाहिने नीचले ओर पाया था तथा एक कंट्यूजन अनियमित किनारे लिये जो कि दाहिने सोल्डर ज्वाइंट पर टीप के पास पाया था। सभी चोटें कडी एवं बोथरी वस्तू से आ सकती थी। चोट क्रमांक 03 कड़ी एवं खुरदुरे सतह से आ सकती थी। आंतरिक परीक्षण करने पर शारीरिक हाल सामान्य काठी का था, पर्दा, पसली, श्वास नली, मुँह, ग्रासनली भीतरी एवं बाहरी जननेन्द्रियाँ स्वस्थ पाया था। खोपड़ी, कृपाल में अस्थिभंग होना पाया था। सिल्ली फट गई थी और अत्यधिक मात्रा में थक्का हुआ खून पाया था। दोनों फेफड़े पीले पड़ गये थे। हृदय में कम मात्रा में खून पाया था। पेट जिसमें अचपचा खाद्य पदार्थ पाया था। छोटी आंत में तरल खाद्य पदार्थ पाया था। बड़ी आंत में विष्ट मल होना पाया था। यकृत, प्लीहा, गुर्दा पीले पड़ गये थे। उसके मतानुसार मृत्यु का प्रकार सदमा होना था, जो कि सिर में आई प्राण घातक चोट कमांक 01 से उत्पन्न अत्यधिक रक्तस्त्राव से मृत्यु होना पाया था। उसके द्वारा की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि मृतक सुनील को मरने के पूर्व या घटना के पूर्व यदि कोई नशीली वस्तु के माध्यम से नशा दिया गया हो तो उसकी जानकारी शव परीक्षण रिपोर्ट में नहीं आ सकती है। पी०एम० रिपोर्ट में कोई नशीली वस्तु का

उल्लेख नहीं है, इसिलये वह यह नहीं बता सकता कि घटना के पूर्व कोई नशा किया था या नहीं। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों अस्वीकार किया कि श्रीमती रामकलीबाई एवं सुरेश को आई चोटें दैनिक कार्यों के दौरान भी आ सकती है, उक्त चोटें एक्सीडेंट वाहन एक्सीडेंट से आ सकती है, परीक्षण के पूर्व उसे आरक्षक द्वारा बताया गया था कि एक्सीडेंट की घटना है, इसिलये वह आज चोटों के कारण के संबंध में एक्सीडेंट को ही आधार बता रहा है।

- साक्षी दिनेश कुमार पटले अ०सा०–०५ का कथन है कि वह आरोपी अंतुसिंह को जानता है, जो उसके गांव का है। वह रितेश बघेल को भी जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है और पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रष्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना के समय उसके पास एक द्वेक्टर था, जिसका क्रमांक एम.पी.50.0975 था, रितेश बघेल के पास न्यू हॉलेण्ड ट्रेक्टर था, जो नया होने के कारण नंबर नहीं आया था, उसके द्वारा करेली से मोवाला तक जो सड़क बन रही थी एवं उसने ताज लॉज में मुरूम ढोने का काम लिया था, उक्त कार्य हेत् उसे एक और ट्रेक्टर की आवश्यकता थी, तो उसने रितेश बघेल से दस हजार रुपये माह में उसका द्रेक्टर किराये से लिया था। साक्षी के अनुसार रितेश अपना द्रेक्टर आरोपी अंतुसिंह के माध्यम से स्वयं चलवाया था। यह अस्वीकार किया कि दिनांक 11.01.2010 को रितेश बघेल के ट्रेक्टर से स्नील कुमार गिर गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी, उसने पुलिस को प्र.पी.04 का कथन दिया था तथा आरोपी उसके पहुँचान के रितेश बघेल का द्रेक्टर चलाता था. इसलिये वह उसे बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात की जानकारी न होना व्यक्त किया कि रितेश बघेल आरोपी अंतुसिंह को द्रेक्टर चलाने देता था या नहीं।
- 11— साक्षी रामकली अ०सा०—०६ का कथन है कि वह आरोपी को जानती है जो उसके गांव का है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 5—6 साल पूर्व की है। घटना दिनांक को वह मृतक सुनील और अन्य पांच लोग ट्रेक्टर में बैठकर ग्राम बम्हनी काम करने जा रहे थे। उस समय ट्रेक्टर को आरोपी अंतुसिंह चला रहा था। उन लोग ट्रेक्टर के मुंडे में आरोपी सिहत बैठे थे। उक्त ट्रेक्टर चालक के अलावा बैठने के लिये कुर्सी बनी रहती है, जैसे ही उनका ट्रेक्टर गोमचीटोला के पा पहुँचा तो ट्रेक्टर से सुनील ट्रेक्टर से गिर गया था। सुरेश भी गिर गया और वह भी ट्रेक्टर में गिर गई थी। मृतक सुनील के उपर से ट्रेक्टर का चका चले जाने से वह मर गया था। उसे दांये पैर में चोट आई थी। किसकी गलती से घटना हुई थी वह नहीं बता सकती। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। अभियोजन द्वारा साक्षी से से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि गोमचीटोला के पास सड़क में मुक्तम का ढेर पड़ा था,

आरोपी ने द्रेक्टर को तेजी से चलाया और ट्रेक्टर को मुरूम के ढेर पर चढ़ा दिया था, जिसके कारण सुनील, सुरेश और वह तीनों गिर गर्ये थे, आरोपी यदि द्रेक्टर को सावधानी से चलाता तो दुर्घटना नहीं होती, पुलिस को उसने दांये पैर में चोट आने की बात बताई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि मृतक सुनील उसका भतीजा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि द्वेक्टर के आजू-बाजू कुर्सी बनी रहती है, उसमें मुश्किल से तीन-तीन लोग बैठ पाते है, चालक को छोड़कर आठ लोग कुर्सी में बैठे हुए थे, मृतक सुनील चालक के साथ उसी की कुर्सी में बैठा हुआ था, मृतक सुनील को उन लोगों के द्वारा चालक सीट में बैठने के लिये मना किया गया था, मृतक सुनील उनकी बात न मानकर अपनी मर्जी से चालक सीट में ही बैठा था, ट्रेक्टर अपनी सामान्य गति से चल रहा था, मृतक सुनील अपने आपको संभाल नहीं पाया और अचानक नीचे गिर गया और जैसे ही मृतक नीचे गिरा, उन्हें और चालक को समझ नहीं आया और इससे पहले की उन लोगों में से कोई कुछ कर पाता या चालक द्रेक्टर का ब्रेक लगा पाता द्रेक्टर का पिछला चका मृतक के उपर चला गया था, उक्त घटना बहुत जल्दी हो गई थी, यदि मृतक चालक सीट पर नहीं बैठता तो उक्त घटना नहीं होती, उसके द्वारा मुख्यपरीक्षण में जो बात बताई गई है कि वह आज पहली बात न्यायालय में बता रही है, उसने पुलिस कथन प्र.डी.01 का कोई कथन नहीं दी थी तथा आरोपी अंतुसिंह घटना के समय गाडी नहीं चला रहा था।

साक्षी सुरेश कुसरे अ.सा.०७ का कथन है कि वह आरोपी अंतुसिंह एवं 12. मृतक सुनील को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह सुनील और अन्य 5-6 लोग ट्रेक्टर में बैठकर काम के लिये जा रहे थे। वह द्रेक्टर के इंजन में बैठा था एवं मृतक सुनील चालक के साईड कुर्सी में बैठा था। घटना के समय देक्टर अंतुसिंह चला रहा था, जैसे ही उनका देक्टर गोमचीटोला के पास पहुँचा तो द्रेक्टर की मुरूम के ढेर पर चालक अंतुसिंह ने चढ़ा दिया था। मुरूम पर द्रेक्टर चढ़ने से वह, रामकली और सुनील गिर गये थे। उक्त दुर्घटना के समय द्वेक्टर स्पीड में था। द्वेक्टर का चालक द्वेक्टर को काट नहीं पाया था, जिससे दुर्घटना हुई थी। उक्त दुर्घटना में उसे सामने की छाती पर चोट आई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि मृतक और आरोपी के अलावा लगभग आठ लोग इंजन के उपर बनी कुर्सियों में बैठे थे, द्वेक्टर पर बनी कुर्सियों में प्रत्येक पर तीन लोग बैठ सकते है, उनके मना करने पर भी मृतक सुनील चालक के साथ उसकी सीट पर बैठ गया था, यदि मृतक सुनील चालक की सीट पर नहीं बैठता तो वह अचानक नहीं गिरता, सुनील के गिरने के बाद गाडी का ब्रेक लगाया गया था, चालक के ब्रेक लगाने के कारण वह और उसकी बहुन गिर गये थे। साक्षी के अनुसार मुरूम के ढेर पर द्रेक्टर चढने से गिर गये थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि द्रेक्टर मुरूम के ढेर में

चढ़ने पर उन लोग गिर गये थे वाली बात गलत बता रहा है, द्रेक्टर अपनी सामान्य गित से चल रहा था। यह स्वीकार किया कि मृतक चालक की सीट में बैठा था और उनके समझने के पूर्व ही सुनील द्रेक्टर से गिर गया था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि धटना के समय द्रेक्टर आरोपी अंतुसिंह नहीं चला रहा था। यह स्वीकार किया कि इंजन के उपर बनी कुर्सियों में उन लोग किठनाई से न बैठे होते तो उन लोग नहीं गिरते।

- 13— साक्षी भाउलाल पारधी अ.सा.08 का कथन है कि वह दिनांक 11.01.2010 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक मोहर्रिर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता काशीराम द्वारा आरोपी अंतुसिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 04/10 अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भा.द.वि. एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 134/187 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी—6 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही मृतक सुनील की फरियादी काशीराम के द्वारा मर्ग इंटीमेषन रिपोर्ट क्रमांक 03/10 दर्ज कराई गई थी, जो प्रदर्ष पी—1 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं अ से अ भाग पर फरियादी काशीराम कुसरे के हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 एवं मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट प्र.पी.01 उसके द्वारा अपने मन से लेख किया गया था। यह स्वीकार किया कि उक्त वाहन के चालक का नाम रिपोर्ट लिखाते समय दिनेश बताया गया था।
- साक्षी रविनाथ मिश्रा अ.सा.०९ का कथन है कि वह दिनांक 11.01.2010 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 04 / 10 धारा—279, 337, 304 भा.द.वि. एवं 134 / 187 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर मृतक सुनील का शव प्रीक्षण नक्षा पंचायतनामा की कार्यवाही किया था। उक्त कार्यवाही प्रदर्श पी-7 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। शव परीक्षण हेत् शासकीय चिकित्सालय बेहर भेजा था, जिसका फार्म प्रदर्श पी-5 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही बुधियाबाई की निशादेही पर मौका नक्शा प्र.पी.08 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को घटनास्थल मानसिंह के घर के सामने से एक द्रेक्टर बिना नंबर का नीले रंग का जिसका रजिस्द्रेशन नंबर नहीं था, जप्त कर जप्ती पचंनामा प्रदर्श पी-09 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही साक्षी काशीराम, बुधियाबाई, भागरतीबाई, झम्माबाई, रामकलीबाई, सुरेश कुसरे के बयान उनके बताये अनुसार लेख किये थे। दिनांक 11.01. 2010 को आरोपी अंतुसिंह कुसरे को गिरफ़्तार कर गिरफ़्तारी पत्रक प्रदर्श पी-10 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त द्रेक्टर का मैकेनिकल परीक्षण करवाया था, जो प्रदर्श पी-11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके

हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना के समय आरोपी अंतुसिंह दुर्घटना कारित वाहन को नहीं चला रहा था, बिल्क दिनेष पटले वाहन चला रहा था, साक्षी बुधियाबाई एवं भागरतीबाई ने भी घटना के समय दिनेष के द्वारा वाहन चलाने की बात बताई थी, उसने बुधियाबाई के सामने मौका नक्षा तैयार नहीं किया था, उसने जप्ती पंचनामा थाने पर बैठकर तैयार किया था, उसने साक्षीगण के कथन अपने मन से थाने में बैठकर की है, मृतक सुनील चालक की सीट पर बैठा था और अपनी लापरवाही से गिरा था, जिसकी उसके द्वारा ठीक से विवेचना नहीं की गई तथा उसने आरोपी के विरुद्ध झूठी कार्यवाही की थी।

- यद्यपि साक्षी बुधियाबाई अ.सा.०१ तथा भागरतीबाई अ.सा.०२ ने घटना के 15. समय दिनेश पटेल द्वारा ट्रेक्टर चलाने के कथन किये हैं, तथापि काशीराम अ.सा.03 द्व ारा घटना के अन्य आहतगण रामकली अ.सा.०६ एवं स्रेश अ.सा.०७ ने अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में आरोपी द्वारा वाहन चालक के कथन किये गये हैं। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट है तथा अभियुक्त द्वारा बचाव में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है कि घटना के समय उसके द्वारा वाहन चालन नहीं किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन नहीं किया जा रहा था। अब प्रश्न अभियुक्त की उपेक्षा अथवा उतावलेपन का है। केवल साक्षी काशीराम अ.सा.०३ ने अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में घटना में अभियुक्त की गलती तथा घटना के समय ट्रेक्टर की गति तेज होने के कथन किये हैं। उक्त साक्षी घटनास्थल से दो सौ मीटर की दूरी पर था, जबकि द्रेक्टर पर सवार दोनों आहतगण रामकली अ.सा.०६ एवं सुरेश अ.सा.०७ ने द्रेक्टर के सामान्य गति से चलने के कथन किये हैं। दोनों आहतगण ने मृतक सुनील के स्वयं ट्रेक्टर से गिरने के कथन किया है तथा अभियुक्त की उपेक्षा अथवा उतावलेपन के संबंध में कोई विशिष्ट कथन नहीं किये हैं। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है, जबकि द्रेक्टर पर सवार दो अन्य व्यक्तियों बुधियाबाई अ.सा.०६ तथा सुरेश अ.सा.०७ ने घटना चालक दिनेश की गलती से होना व्यक्त किया है। उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्त की उपेक्षा तथा उतावलेपन के संबंध में साक्ष्य का अभाव है 🎊
- 16. उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गित से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी—अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गित से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है।

किसी भी साक्षी ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढ़ंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा आहत रामकलीबाई तथा सुरेश को उपहित कारित किया एवं आहत सुनील की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 04 एवं 05

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- 17. विवेचक साक्षी रिवनाथ मिश्रा अ.सा.09 ने अपनी साक्ष्य में उक्त आरोपित अपराधों के सबंध में लेशमात्र कथन भी नहीं किये हैं तथा अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उक्त आरोपों का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में कथित द्रेक्टर की जप्ती भी अभियुक्त से दर्शित नहीं है और ना ही उक्त संबंध में कोई साक्ष्य है कि जप्तशुदा द्रेक्टर से ही घटना कारित की गई। ऐसी स्थिति में मात्र अभियोजन के अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। फलतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा दुर्घटना में क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया तथा दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को नहीं दिया तथा उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति, परिमट, रिजस्ट्रेशन और बीमा के चलाया।
- 18. उपरोक्त विवेचना के फलस्वरूप अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त अंतुसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 एवं 304ए भा.द.वि. एवं मो०व्ही० एक्ट की धारा—134/187, 3/181, 39/192, 66/192 तथा 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।
- 19. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 20. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन द्रेक्टर एन.एक्स.3030 न्यू हॉलेण्ड प्लस इंजन नंबर एस.3—24—सी28174 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अविध के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।

21. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान दिनांक 07.03.2011 से 14.03.2011 तक तथा दिनांक 11.07.2017 से दिनांक 17.07.2017 तक अभिरक्षा में रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

ALINATA PARADA SUNTA ED STATE